

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश, मेड़ता  
बाजू देवी बनाम राजमल  
दीवानी वाद सं. 32/2015 (33/15)  
लक्षित प्रकरण सं. 7

1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2025	<p>उभय पक्षकारान् के अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 14 नियम 5 सीपीसी गत पेशी पर सुनी गई। पत्रावली आज दिनांक आदेश हेतु नियत है।</p> <p>दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया कि:- वादी ने अपने दावा के पेरा सं. 2 में इस प्रकार कथन किया है कि वादीनी ने उक्त मकान व जमीन कुल 8680 वर्गफुट करीब आधा बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान से दिनांक 21.06.2006 को 4,90,000/-रूपये रोकड़ी अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीनी के हक में दिनांक 21.06.2006 को रजिस्टर्ड बेचाननामा 40,000/- रूपये के स्टाम्प पर दस्तावेज लेखक सम्पतराज वैष्णव से लिखवा कर उस पर अपने हस्ताक्षर कर व वादीनी के हस्ताक्षर करवाकर रजिस्टर्ड करवाया व वादीनी को कब्जा सुपुर्द किया। यह कथन वादीनी ने अपने वाद के पेरा संख्या 2 में किया है। न्यायालय ने जो विवाद्यक बनाये है जिसमें तनकी संख्या 1 यह बनाई है कि आया वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 से वादग्रस्त मकान दिनांक 21.06.2006 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 4,90,000/- रूपये रोकड़ी अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। वादीनी ने जो वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में कथन किया है उसके सम्बन्ध में विवाद्यक बनाया जाना न्याय संगत है और जरूरी है और इस वाद के सही न्याय के लिये वादीनी ने जो अपने वाद के पेरा संख्या 2 में कथन किया है उसके सम्बन्ध में विवाद्यक बनाया जाना कानूनन जरूरी है और न्यायसंगत है और प्रतिवादी को सही न्याय मिल सके इसके लिये वादीनी ने जो अपने वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में कथन किया है उसके सम्बन्ध में तनकी विवाद्यक बनाया जाना बिल्कुल कानूनी है और जरूरी है और न्यायसंगत है। इसलिए निम्नलिखित तनकी (विवाद्यक) बनाई जावे:-</p> <p>विवाद्यक संख्या 4-आया वादीनी ने वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में किये गये कथन के अनुसार उक्त मकान व</p>	

जमीन कुल 8680 वर्गफुट करीब आधा बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 21.06.2006 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया- वादीनी

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायालय ने जो विवाद्यक दिनांक 28.07.2016 को बनाये है उनमें विवाद्यक संख्या 4 उपरोक्त अनुसार और बनाये जाने का आदेश फरमाया जावे और विवाद्यक संख्या 4 इस वाद में और बनाई जावे और जो विवाद्यक बनाये गये है उनमें उपरोक्त अनुसार संशोधन फरमाया जावे और विवाद्यक संख्या 4 बनाई जावे।

उक्त तर्कों का विरोध कर विद्वान अधिवक्ता वादीनी ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि- प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 1 में लिखे तथ्य सही है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 2 का जवाब है कि न्यायालय ने जो तनकी सं. 1 बनाई है, वह सही बनाई है, जो वाद के अनुतोष अनुसार सही तनकी कायम की है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 3 का जवाब है कि प्रतिवादी जो तनकी कायम करवाना चाह रहे है, ऐसी तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तनकी सं. 1 न्यायालय द्वारा जो कायम की गई है, वह तनकी प्रतिवादी द्वारा चाही गई तनकी के समान ही है। इसलिए प्रतिवादी जो तनकी सं. 4 के रूप में नई तनकी बनवाना चाहता है, वह गलत है। मात्र प्रकरण को लम्बा करने के लिए प्रतिवादी हर तारीख पेशी पर कोई ना कोई आवेदन प्रस्तुत कर रहा है तथा प्रकरण में सर्वप्रथम जो तनकी कायम हुई थी, उसमें प्रतिवादी को अन्य कोई तनकी सुझाव हेतु अवसर दिया था, मगर प्रतिवादी ने कोई नई तनकी बनाने का सुझाव नहीं दिया। ऐसे में मात्र प्रकरण को लम्बा करने के लिए प्रतिवादी ने आवेदन पेश किया है, जो काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा व हर्जा खारिज किया जावें।

उभय पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। हस्तगत वादपत्र, वादीनी बाजूदेवी ने विरुद्ध प्रतिवादीगण राजमल व अन्य के विरुद्ध बाबत बेदखली मकान एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वर्ष 2015 में पेश किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य वादी दिनांक 04.08.2022 को पूर्ण की जाकर पत्रावली सर्वप्रथम साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई थी। जिसके पश्चात पत्रावली निरन्तर साक्ष्य प्रतिवादी हेतु लंबित रही है।

न्यायालय:- अपर जिला न्यायाधीश, मेड़ता  
वाजू देवी बनाम राजमल  
दीवानी वाद सं. 32/2015 (33/15)  
लक्षित प्रकरण सं. 7

3

तत्पश्चात दिनांक 06.10.2025 को उपरोक्त प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विवाद्यक संख्या 4 इस प्रकार कायम किये जाने की प्रार्थना की है कि- विवाद्यक संख्या 4-आया वादीनी ने वाद पत्र के पेरा संख्या 2 में किये गये कथन के अनुसार उक्त मकान व जमीन कुल 8680 वर्गफुट करीब आधा बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये रजिस्टर्ड बेचान के दिनांक 21.06.2006 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया- वादीनी परन्तु इस संदर्भ में न्यायालय के विनम्र मत में न्यायालय द्वारा पूर्व में तनकी संख्या 1 इस आशय की विरचित की गई है कि -1. आया वादीनी ने प्रतिवादी क्रम-1 से वादग्रस्त मकान दिनांक 21-06-2006 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये 4,90,000/- रुपये रोकडी अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया ? इस प्रकार प्रतिवादी के द्वारा जो तनकी संख्या 4 विरचित किये जाने की प्रार्थना की गई है उक्त आशय कि तनकी संख्या 1 पूर्व में ही विरचित की जा चुकी है तथा पुनः उसी आशय की तनकी कायम किये जाने का कोई न्यायोचित आधार/ कारण प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। अपितु पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण शीघ्र निस्तारण की लक्षित पत्रावली संख्या 7 है तथा दिनांक 29.09.2025 को प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान कर पाबंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्य हेतु दिनांक 06.10.2025 को नियत की गई थी परन्तु उक्त दिनांक को साक्ष्य पेश नहीं कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतिवादीगण का आशय प्रकरण में विलंब कारित करने का प्रकट होता है। अतः हस्तगत के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होने से 2000/- रुपये कॉस्ट पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादी पक्ष को पाबंद किया जाता है कि आगामी तारीख पेश पर आवश्यक रूप से साक्ष्य पेश करे। आयंदा साक्ष्य पेश नहीं करने की सूरत में साक्ष्य प्रतिवादी स्वतः बंद समझी जावेगी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्यप्रतिवादीगण हेतु दिनांक 16.10.2025 को पेश हो।

*Gehivastava*

*gshi*

*set*